बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
**कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना**
{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

# अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 02/2025–26

| | | |
|---|---|---|
| 1 | विभाग का नाम | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार। |
| 2 | विज्ञापनदाता का नाम पता | निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना। |
| 3 | परिमाण विपत्र की बिक्री की अंतिम तिथि एवं समय | 11.08.2025 को 5.00 बजे अपराह्न तक कार्य अवधि में। |
| 4 | निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय | 12.08.2025 को 2.00 बजे अपराह्न तक। |
| 5 | तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय | 12.08.2025 को 3:00 बजे अपराह्न। |

| क्र० सं० | निविदा का विवरण। | परिमाण विपत्र का मूल्य | अग्रधन की राशि | निविदा की अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के निचले तल्ले पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु बन्दोबस्ती। | रू० 2,000/ (रूपये दो हजार) प्रति। | रू० 2,00,000/– (दो लाख रूपये) | 01.09.2025 से 31.08.2027 (दो वर्ष) (Will be renewed after one year) |

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के निचले तल्ले पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु अनुभवी फर्मों/एजेंसी/कम्पनी/रेस्तराँ संचालकों से सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक–12.08.2025 के अपराह्न 02:00 बजे तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक–11.08.2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय से कार्य अवधि में रू० 2,000/–(दो हजार रूपये) मात्र का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं या सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के बेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रुप में रूपये 2,000/– (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट जो Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, को तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेगें। निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रू० 2,00,000/– (दो लाख रू०) का बैंक ड्राफ्ट जो Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी प्राप्त करने या निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय अथवा *https://state.bihar.gov.in/prdbihar* से सम्पर्क किया जा सकता है।

28/07/2025

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
**कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना**
{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

## अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 02/2025–26

## संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में दिनांक 01.09.2025 से 31.08.2027 (दो वर्ष) तक संचालन हेतु आमंत्रित निविदा की शर्त्ते :–

संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में दिनांक 01.09.2025 से 31.08.2027 (दो वर्ष) तक संचालन हेतु अनुभवी फर्मों/एजेंसी/कम्पनी/रेस्तरॉ संचालकों से सील बन्द निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक–12.08.2025 के अपराह्न 02:00 बजे तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय–कक्ष में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के वेबसाईट *https://state.bihar.gov.in/prdbihar* से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी निविदाओं की तकनीकी निविदायें दिनांक–12.08.2025 को 03.00 बजे अपराह्न को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। वित्तीय निविदायें खोलने की तिथि एवं समय दिनांक–12.08.2025 को तकनिकी निविदा खोलने के पश्चात अलग से सूचित किया जाएगा।

1. **संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में संचालन हेतु निविदा अवधि 2 वर्ष का होगा। निविदादाता द्वारा 1 वर्ष के कैन्टीन के संचालन के उपरांत निविदादाता के कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में निविदा–अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। यदि प्रथम वर्ष की अवधि के दौरान निविदादाता का कार्य संतोषजनक (अवधि–विस्तार से संबंधित निविदा शर्त के आलोक में) नहीं पाया जाता है तो 1 वर्ष के उपरांत ही निविदा को रद्द करते हुए पुनः निविदा की जाएगी। निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को अधिकार होगा कि निविदा की शर्तों के उल्लंघन पर तत्काल अथवा अन्य परिस्थिति में बिना कारण बताये एक माह के अग्रिम सूचना पर फुड काउन्टरों का संचालन बंद कर सकते है।**
2. **निविदादाता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या आवश्यक रूप से अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर अपना नाम–पता अंकित करेंगे। निविदादाता के द्वारा लिफाफो पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित न किये जाने पर उनकी निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित करते हुए उस पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।**
3. विलम्ब से, डाक, कुरियर अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से प्राप्त अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता निविदा समर्पित करने से पूर्व वे स्थल का निरीक्षण स्वयं कर लेंगे। निविदादाता द्वारा निविदा समर्पित किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि निविदादाता द्वारा स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इस संदर्भ में निविदा निष्पादन के समय अथवा उसके पश्चात् किसी भी समस्या को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

5. प्राप्त निविदाओं का 'तकनीकी एवं वित्तीय बिड' निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाकर्त्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निदेशक कार्यालय में निविदा समिति द्वारा खोले जायेंगे। यदि कोई निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं होते हैं तब भी निविदा मान्य समझा जायेगा। केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
6. सशर्त निविदा मान्य नही होगा एवं सशर्त निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।
7. कम्पनी/एजेंसी के नाम पर निविदा समर्पित किए जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज कम्पनी/एजेंसी के होने चाहिए। व्यक्ति विशेष द्वारा निविदा भरे जाने की स्थिति में सभी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति के होने अनिवार्य है।
8. कम्पनी/एजेंसी के प्रतिनिधि निविदा में उपस्थित होने की स्थिति में उन्हें कम्पनी/एजेंसी के द्वारा निविदा में उपस्थित होने से संबंधित निर्गत प्राधिकार पत्र निविदा समिति को समर्पित करना होगा।

**निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ समर्पित किये जाने वाले कागजातः—**

9. **निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में निहित निविदा शर्तों एवं तकनीकी निविदा फार्म में अंकित सभी स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज निविदा प्रपत्र की राशि का प्रमाण, अग्रधन की राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट के साथ समर्पित किये जायेंगे। साथ ही निविदा शर्तों को मान्य करते हुए निविदा शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जायेगा। बिना स्वहस्ताक्षरित निविदा शर्तों एवं दस्तावेजो के समर्पित करने पर निविदादाता द्वारा समर्पित निविदा को असफल घोषित किया जायेगा।**
10. **निविदा प्रपत्र की राशिः—** निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद अथवा निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रुप में रूपये 2,000/— (दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, जो Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद/डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदादाता के तकनीकी निविदा को असफल घोषित किया जायेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) है।
11. **अग्रधन की राशिः—** निविदा के साथ अग्रधन के रूप में रु. 2,00,000/— (दो लाख रू0) का बैंक ड्राफ्ट जो Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रधन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट मूल रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदादाता के तकनीकी निविदा को असफल घोषित किया जायेगा।
12. **पता—पहचान का प्रमाणः—** निविदादाता को तकनीकी निविदा के साथ पता एवं पहचान से संबंधित दस्तावेज यथा— आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। पता—पहचान का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।
13. **आयकरदाता होने का प्रमाण—पत्र एवं आयकर रिटर्नः—** निविदादाता को आयकरदाता होने का प्रमाण—पत्र (पैन कार्ड) की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं विगत तीन वर्षो यथा (Assesment Year 2022—23, 2023—24 एवं 2024—2025) का वार्षिक रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। माँगे जाने पर Assesment Year 2025—26 का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। पैन कार्ड एवं वार्षिक रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।
14. **जी०एस०टी० निबंधन एवं रिटर्नः—** निविदादाता को जी०एस०टी० के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन दो तिमाही (छः माह) की अद्यतन रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करनी होगी। जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण—पत्र एवं अद्यतन दो तिमाही (छः माह) की अद्यतन

रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

15. **कार्यानुभव का प्रमाणः–** निविदादाता सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/सरकारी निगम/सरकार से मान्यता प्राप्त होटल/रेस्टोरेन्ट/कैफेटेरिया चलाने का कम–से–कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्यानुभव का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

16. **FSSAI निबंधन का प्रमाण–पत्रः–**निविदादाता को खाद्य संरक्षण विभाग (FSSAI) से निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा। वैध FSSAI प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

17. **E.S.I, E.P.F निबंधन का प्रमाण–पत्रः–** रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया के कार्य में मजदूरों का उपयोग करने हेतु कम्पनी/प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति/निविदादाता द्वारा E.S.I, E.P.F से निबंधित होने का प्रमाण संलग्न करना होगा। तकनीकी निविदा के साथ E.S.I, E.P.F से निबंधित होने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

18. **वार्षिक टर्न–ओवरः–** निविदादाता का विगत दो वर्षों का वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम रू. 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) होना चाहिए। निविदादाता को विगत दो वर्षों यथा 2022–23 एवं 2023–24 के वार्षिक टर्न–ओवर का रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटिंग से सत्यापित अभिलेख तकनीकी निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। माँगे जाने पर वर्ष 2024–25 का वार्षिक टर्न–ओवर की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी निविदा के साथ वार्षिक टर्न–ओवर की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

19. **चरित्र प्रमाण–पत्रः–** निविदादाता द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण–पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। तकनीकी निविदा के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न न होने पर निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

20. **हस्ताक्षर प्रमाणीकरणः–** निविदादाता को उनके हस्ताक्षर को राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर उसे तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदादाता की तकनीकी निविदा को असफल घोषित किया जायेगा।

21. निविदादाता को नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनका नाम सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है और न ही कृष्णचिन्हित किया गया है, को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

22. नोटरी का मूल शपथ–पत्र जिसमें निविदाकर्त्ता घोषणा करेंगे कि उनके द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख निविदा खोलने के समय अथवा उसके बाद कभी भी असत्य, जाली अथवा नकली पाया जाता है तो उनके विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

23. निविदा प्रपत्र में निविदाकर्त्ता इस बात को प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़वाया और समझा है तथा वे सभी शर्तो को स्वीकार करते हैं।

24. निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों की विवरणी के साथ दर को तकनिकी निविदा के साथ समर्पित किया जायेगा।

25. निविदा समर्पित करने के लिए योग्यता एवं रूपरेखा अर्थात् अनुभव, वर्त्तमान् में कहाँ और किस प्रकार के विधिवत निबंधित होटल/निबंधित रेस्तराँ/निबंधित फुड काउन्टर के संचालक हैं, कब से संचालित कर रहे हैं, उनके होटल/रेस्तराँ/फुड काउन्टर में कौन–कौन सी सामग्री बेची जा रही है, इत्यादि से संबंधित विवरणी एवं प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा **संजय गाँधी जैविक उद्यान में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना** समर्पित करेंगे।

26. निविदा खोलने अथवा उसके बाद कभी भी यदि यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा निविदा के साथ समर्पित कोई भी कागजात/अभिलेख असत्य, जाली अथवा नकली है तो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। संबंधित निविदादाता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सकता है तथा एकरारनामा को रद्द

21/07/2025

करते हुए उनके जमानत/अग्रधन की राशि को राज्यसात कर संबंधित निविदादाता को कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।

## वित्तीय निविदा संबंधित शर्तेः–

27. निविदा समिति द्वारा केवल तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
28. निविदादाता **वित्तीय निविदा** के प्रपत्र में निविदादाता द्वारा प्रतिमाह पटना जू को रेंट के रूप में दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ–साफ लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। शब्द एवं अंक में लिखे गये राशि में अंतर पाये जाने पर शब्द में अंकित राशि को वित्तीय मूल्यांकन हेतु अंतिम माना जायेगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
29. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन निविदादाताओं द्वारा प्रतिमाह किराया दर के रूप में अर्पित दर में **अधिकतम अर्पित दर (एच–1)** के आधार पर तय किया जाएगा।

## निविदा के अन्य शर्तेः–

30. सफल निविदादाता को निविदा निष्पादन के एक सप्ताह के अंदर **रू० 1,000/–(एक हजार रूपये मात्र)** मूल्य के नन्–जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प निदेशक कार्यालय में जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्त्तों का उल्लेख होगा।
31. **प्रतिभूति जमा राशि :–** सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में **3 (तीन) माह का अग्रिम किराया** किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डीसीआर/एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से Pledged कराकर जमा करना होगा। बैंक यदि सफल निविदादाता शर्तो के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।
32. एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने, जमानत राशि एवं एक माह का अग्रिम राशि (मासिक रेंट) जमा करने के उपरान्त ही सफल निविदादाता को काउन्टरों के संचालन की अनुमति दी जायेगी। यदि सफल निविदाकर्त्ता जमानत की राशि तथा एक माह का अग्रिम राशि निर्धारित समय (एक सप्ताह के भीतर) तक जमा करने एवं एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी। निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को यह अधिकार होगा कि भविष्य में पटना जू के किसी भी निविदा में भाग लेने से उन्हें वंचित कर दें।
33. सफल निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ समर्पित खाद्य सामाग्रियों की विवरणी एवं दर को निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा कार्य–हित एवं सामान्य तबके के पर्यटकों को ध्यान में रखते हुये कम किया जा सकता है, जो सफल निविदादाता को मान्य होगा।
34. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् एवं सफल निविदादाता द्वारा समर्पित दर पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अनुमति के उपरांत सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र कैन्टीन का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा कैन्टीन के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं नई निविदा करने की कार्रवाई की जायेगी।
35. सफल निविदादाता के द्वारा माह अप्रैल से सितम्बर तक प्रातः 6.00 बजे से 6.00 बजे अपराह्न तक तथा माह अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 6.00 बजे से 5.00 बजे अपराह्न तक कैन्टीन का संचालन किया जायेगा। कैन्टीन संचालन के समय में बदलाव करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समयावधि के पश्चात कैन्टीन का संचालन अथवा सामग्रियों की बिक्री नहीं की जायेगी। बन्दी के दिन एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन कैन्टीन का संचालन अथवा किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अल्प सूचना अथवा

अपरिहार्य स्थिति में जू को अन्य दिनों भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी कैन्टीन को बन्द रखना होगा और इसके लिए किराये की राशि में किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी।

36. सफल निविदादाता के द्वारा मयूर कैन्टीन के निर्धारित क्षेत्र (निचले तल्ल पर) में ही खाद्यान्न बिक्री की जायेगी। सफल निविदाकर्त्ता अपने काउन्टर के सामने के प्लेटफार्म का उपयोग ग्राहकों के बैठने के लिए कर सकते हैं। उपरी तल पर इनका न तो कोई अधिकार होगा और न ही वे इसका उपयोग करेंगे। सामग्रियों की बिक्री निर्धारित क्षेत्र तक सीमित रहेगी। किसी भी परिस्थिति में जू के किसी अन्य क्षेत्र/जगह पर सफल निविदादाता के द्वारा कैन्टीन का संचालन नही किया जायेगा।

37. सफल निविदादाता कैन्टीन के किसी भाग को सब–लेट अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान/प्रतिष्ठान/कंपनी को संचालन हेतु नही देंगे। निविदादाता के द्वारा कैन्टीन के किसी भाग को सब–लेट अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान/प्रतिष्ठान/कंपनी को संचालन हेतु दिये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर निविदा शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए एकरारनामा को रद्द करते हुए उनके जमानत/अग्रधन की राशि को राज्यसात कर संबंधित निविदादाता को कृष्णचिन्हित किया जा सकता है।

38. निर्धारित स्थल पर आगंतुकों के बैठने हेतु कुर्सी, टेबुल की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी। निविदादाता को स्थल के अलावे कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। निविदा अवधि समाप्त होने पर निविदादाता को अस्थायी रूप से लगाये गये सभी सामग्रियों को 07 दिनों के अंदर हटाना होगा।

39. सफल निविदादाता को प्रत्येक माह के **5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया** जमा करना होगा। 5वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा न करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्धयात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा।

40. लगातार दो माह तक किराया (3% वृद्धायात्मक शुल्क सहित) जमा न करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये निविदा रद्द कर सफल निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल निविदादाता (संचालक) के विरूद्ध सरकार का कोई बकाया रह जाता है, तो नीलाम–पत्र मुकदमा दर्ज कर ब्याज सहित राशि की वसूली की कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्णय से होने वाले क्षति की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।

41. सफल निविदादाता को फुड काउन्टरों पर किए गए बिजली खपत का भुगतान एच.टी. कनेक्शन के दर के अनुरूप अलग से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा अन्यथा बिजली आपूर्ति बंद कर दी जायेगी जिसके लिए सफल निविदाकर्त्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे। बिजली खपत का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक से **केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में** 'साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के नाम में करना होगा।

42. **कार्यअवधि विस्तारः– इस निविदा के दो वर्ष की अवधि में सफल निविदादाता के प्रथम वर्ष में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में सफल निविदादाता का कार्य–अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रथम वर्ष पूर्ण होने के उपरांत निविदा समिति की बैठक कर अवधि विस्तार के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। सफल निविदादाता के द्वारा प्रथम वर्ष में दो या दो से अधिक बार निविदा शर्तों के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निविदादाता को कार्य–अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में पुनः निविदा की जाएगी। यह अवधि विस्तार पूर्णतः निविदा समिति के निर्णय पर निर्भर रहेगा। यह कार्यावधि विस्तार किसी भी परिस्थिति में निविदादाता का हक नहीं होगा, ना ही निविदादाता इस कार्य–अवधि विस्तार के लिए किसी न्यायालय में वाद दर्ज कर सकते है। विशेष परिस्थिति में निविदा समिति के निर्णय के आलोक में दो वर्ष का कार्य–अवधि अगले अधिकतम तीन माह के लिए बढ़ाया जाएगा।**

**कैन्टीन में बेचे जाने वाले खाद्यान्न सामग्री एवं दर से संबंधित शर्तेः–**

43. कैन्टीन में किसी प्रकार का मांसाहारी खाद्य पदार्थ, नशीला पदार्थ एवं उद्यान में प्रतिबंधित सामग्री यथा बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के बॉटल इत्यादि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कैन्टीन संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न हीं बेचा जायेगा एवं न ही संचालक अथवा उनके कर्मियों के द्वारा इसका सेवन किया जायेगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर सफल निविदादाता के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा की जायेगी।

44. बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। निदेशक को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि जब आवश्यकता होगी वे किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री को पूर्णतः, अंशतः या सीमित अवधि के लिये बंद कर सकेंगे।

45. कैन्टीन संचालक द्वारा बेचे जाने वाले सभी सीलबन्द सामग्रियों को निर्धारित एम.आर.पी. पर ही बेचना होगा।

46. सफल निविदादाता को काउन्टर्स से बेचे जाने वाले सभी सामग्रियों के मात्रा/आकार/सामग्री का वज़न का दर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा। संचालक द्वारा खाद्य्य सामग्रियों की बिक्री औसत बाजार दर पर की जायेगी, जिसके दर का निर्धारण निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा गठित समिति के अनुशंसा पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में सफल निविदादाता के द्वारा अपने स्तर से खाद्य सामाग्रियों की निर्धारित दर सूची में बदलाव नही किया जायेगा। सफल निविदादाता को खाद्य सामाग्रियों की निर्धारित दर सूची में बदलाव की आवश्यकता महसूस होने पर सफल निविदादाता को इस आशय का लिखित आवेदन संशोधित दर सूची के साथ निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को समर्पित करना होगा। निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के द्वारा संशोधित दर सूची पर अनुमति दिये जाने के उपरांत ही सफल निविदादाता के द्वारा संशोधित दर पर खाद्य सामाग्रियों की बिक्री की जायेगी। अगर यह पाया जाता है कि सफल निविदादाता के द्वारा बिना अनुमति खाद्य सामाग्रियों के दरों में बदलाव किया गया है, तो निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के द्वारा निविदा को रद्द करते हुए सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को जप्त कर निविदादाता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं पुनः निविदा करने की कार्रवाई की जायेगी।

47. सफल निविदादाता, फुड काउन्टर्स पर **दर सूची** लगायेंगे, जिसमें सामग्री का नाम, उसका आकार एवं मात्रा तथा दर अंकित रहेगा। साथ ही उसपर उद्यान के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर एवं निदेशक कार्यालय का दूरभाष नम्बर, ई–मेल सहित, ग्राहकों/दर्शकों की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जायेगा।

48. **बेचे जाने वाले सामानों के लिए ग्राहकों को रसीद देना अनिवार्य होगा।** ग्राहकों को उचित रसीद निर्गत नहीं करने की स्थिति में सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत् दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा।

49. संचालक को ग्राहकों के लिए निःशुल्क स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। इसके लिए वे अपने खर्च पर एक्वागार्ड लगायेंगे तथा शीशे अथवा कागज के बने गिलास का ही उपयोग करेंगे।

50. संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना एक 'पॉलीथीन निषिद्ध' क्षेत्र हैं। अतः सफल निविदाकर्त्ता, ग्राहकों को सामग्री की आपूर्ति के लिए पॉलीथीन, थर्मोकोल/स्टैरोफोम के प्लेट्स, गिलास इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे।

51. सफल निविदादाता को कोविड एवं अन्य संक्रमण के संदर्भ में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

52. **सरकार द्वारा खाद्य सामाग्रियों के संबंध में समय–समय पर निर्गत सरकारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।**

53. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित स्थल के आस–पास की जगह को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा एवं बचे हुऐ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा प्रतिदिन करना होगा। सफल निविदादाता को उनके खर्च पर कम से कम आठ कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा जिसकी सफाई समय–समय पर करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम को जू बंद होने के उपरांत कैन्टीन एवं आस–पास के क्षेत्र की सफाई की जायेगी। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में जू क्षेत्र के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री एवं कचरा का परिवहन निर्धारित समय में ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में एक दिन का कूड़ा, अगले दिन के दर्शन अवधि शुरू होने तक नहीं रखना होगा। कूड़ा–कचरा को प्रतिदिन के डिस्पोजल की जिम्मेवारी कैन्टीन संचालक की होगी। सफल निविदाकर्त्ता के द्वारा किचन के अंदर निर्धारित स्थल पर ही बर्तनों की साफ–सफाई की जायेगी।

28/07/2025

54. सफल निविदादाता को फुड काउन्टर परिसर एवं उसके आस–पास के स्थल, नालों की प्रतिदिन सफाई की जायेगी। परिसर को साफ–सुथरा (**स्वच्छ एवं स्वस्थ**) तथा **बदबूरहित** रखना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक दंड (रूपये 10,000/–) के भागी होंगे एवं इसके संबंध में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं निविदाकर्त्ता को मान्य होगा।
55. निर्धारित स्थल पर किसी प्रकार का शोर–शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा।
56. फुड काउन्टर्स अथवा उसके आसपास के परिसर में किसी भी निजी/गैर निजी/धार्मिक, सामाजिक/राजकीय संस्थान/कम्पनी/प्रतिष्ठान इत्यादि का प्रचार सामग्री लगाना या बढ़ावा देना प्रतिबंधित होगा।
57. सफल निविदादाता के कर्मियों के द्वारा पर्यटकों/ग्राहकों के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करना होगा। पर्यटकों से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को गंभीरता से लिया जायेगा। कर्मी सभी समय अनुशासनपूर्ण रहेंगे। कर्मियों को हमेशा नेमप्लेट के साथ वर्दी में एवं जूतों में रहना अनिवार्य है।
58. इस क्षेत्र में धुम्रपान एवं सिंगल यूज प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।
59. कैन्टीन में निर्धारित जगह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की सुविधा यथा वाई–फाई देने के लिये संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना बाध्य नही होगा। ससमय बिजली की आपूर्ति न होने पर इसके लिये जू प्रशासन जिम्मेदार नही होगा। सफल निविदादाता अपने स्तर से साइलेंट जेनरेटर उपलब्ध रखेंगे एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा निर्धारित स्थल पर उसे संचालित करेंगे। पानी की सुविधा उपलब्ध न रहने पर सफल निविदादाता अपने स्तर से पानी की व्यवस्था करेंगे। अन्य किसी प्रकार की सुविधा हेतु सफल निविदादाता द्वारा अनुरोध करने पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के अनुमति से ही उसे उपलब्ध करायी जा सकेगी।
60. सफल निविदादाता के सभी कर्मी कैन्टीन के निर्धारित समय के उपरांत आवश्यक साफ–सफाई पूर्ण कर एक घंटे के अंदर जू क्षेत्र से बाहर निकल जायेंगे। सफल निविदादाता के कोई भी कर्मचारी रात्रि में कैन्टीन एवं जू के क्षेत्र में नहीं रहेंगे।
61. सभी वैधानिक करों यथा आयकर, सेवा कर, जी.एस.टी. इत्यादि एवं अन्य देयताओं जैसे ESI, EPF इत्यादि का भुगतान सफल निविदादाता को अलग से अपने स्तर से करना होगा, जिसकी जिम्मेवारी निविदाकर्ता की होगी। माँगे जाने पर सफल निविदादाता को आयकर, जी.एस.टी., से संबंधित त्रैमासिक रिटर्न की प्रति, प्रतिमाह मजदूरों को किये गये भुगतान एवं ESI, EPF के भुगतान की विवरणी निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करनी होगी।
62. सफल निविदादाता, काउन्टरों के संचालन, सर्विस एवं साफ–सफाई हेतु रखे गये सभी व्यक्तियों का, पता, फोटो सहित पहचान–पत्र दो प्रतियों में निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में जमा करेंगे। उनकी किसी भी पहचान के लिए सफल निविदाकर्ता अपने स्तर से उन्हें वर्दी देंगे, जिसपर उनका नेमप्लेट लगा रहेगा। बिना वर्दी के उनके किसी भी कर्मी को उद्यान के अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सफल निविदादाता द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु रखे गये सभी व्यक्तियों/कर्मियों का पुलिस सत्यापन अपने स्तर से करेंगे। उनके कर्मियों द्वारा जू के अंदर अथवा बाहर किये गये अविधायी कार्यों के लिये सफल निविदादाता जिम्मेवार होंगे। इन कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी।
63. सफल निविदादाता के कर्मियों अथवा अन्य व्यक्ति/प्रतिष्ठान से किसी भी विवाद के लिये संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना जिम्मेदार नहीं रहेंगे।
64. सफल निविदादाता के द्वारा खाद्य सामग्री को कैन्टीन के अंदर बने निर्धारित किचन में ही बनाया जायेगा। खाद्य सामग्री को बनाने के लिये यथासंभव इलेक्ट्रिकल ओवेन/माइक्रोवेव (Electrical /Induction oven) का इस्तेमाल किया जायेगा। जूस, कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर सकते हैं।
65. निविदा अवधि के दौरान मयूर रेस्टूरेंट के ग्राउन्ड फ्लोर स्थित दोनों काउन्टरों के रख–रखाव की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्त्ता की होगी। उन्हें प्रतिवर्ष इसका रंग–रोगन कार्य कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर जू निदेशक द्वारा आर्थिक दंड लगाया जाएगा तथा निविदा रद्द की जा सकती है।

28/07/2025

66. फुड काउन्टरों पर बिक्री किए जाने वाले सामग्रियों, कच्ची सामग्री की गुणवत्ता, दर, सफाई, अनुशासन एवं निविदा शर्तों के अनुपालन की समय–समय पर जाँच निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के द्वारा गठित टीम के द्वारा की जायेगी।

67. **सफल निविदादाता द्वारा निविदा के उपरोक्त शर्तों का/एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन, लापरवाही बरतने, निदेशक के क्षेत्र भ्रमण अथवा जाँच समिति द्वारा जाँच के दौरान पाये जाने वाले प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर दस हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। सफल निविदादाता द्वारा गंभीर प्रकृति के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल प्रभाव से अथवा निविदा/एकरारनामा के अन्य शर्तों के दो से अधिक बार उल्लंघन किये जाने पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा तत्काल निविदा को रद्द करते हुए कैन्टीन के संचालन को बंद कराया जायेगा।**

68. सफल निविदादाता अथवा उनके कर्मी के द्वारा किये गये किसी कार्य/उल्लंघन के कारण संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को किसी व्यक्ति/प्रतिष्ठान को किसी प्रकार का भुगतान करना पड़ता है, तो उक्त राशि को सफल निविदादाता के जमा की गई प्रतिभूति राशि से वसूला जायेगा।

69. **निविदा रद्दीकरण :–** निविदा को किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को सुरक्षित रहेगा।

70. सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति, खाद्य समाग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत, कैन्टीन संचालन से पर्यटक एवं वन्यजीव प्रबंधन पर प्रतिकुल प्रभाव की सम्भावना होने पर अथवा उच्च स्तर से निदेश प्राप्त होने पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा किसी भी समय तत्काल निविदा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। अन्य कारणों से कैन्टीन के संचालन बंद करने की आवश्यकता पर निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना द्वारा निविदा रद्द करने के कारणों को न बताते हुए सफल निविदादाता को एक माह का नोटिस देकर निविदा रद्द किया जा सकता है। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

71. सफल निविदाकर्त्ता, निविदा अवधि (दो वर्ष) के बीच में बिना कोई ठोस कारण के आवंटन रद्द कराने अथवा संचालन करने से इंकार नहीं कर सकेंगे। यदि सफल निविदाकर्ता/संचालक द्वारा किसी कारणवश आवंटन रद्द कराने तथा संचालन करने से इंकार किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में संचालक को कम से कम दो माह की अग्रिम सूचना निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को देना अनिवार्य होगा। उक्त दो माह में संचालक को कैन्टीन का संचालन जारी रखना होगा। अगर संचालक के द्वारा नोटिस के दो माहों में कैन्टीन का संचालन जारी नही रखा जाता है, तो वैसी परिस्थिति में संचालक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि/जमानत राशि को राज्यसात किया जायेगा।

72. आवंटित फुड काउन्टर्स में बदलाव, मरम्मती, पुनर्निर्माण या अन्य कारणों से संचालक को एक माह के नोटिस पर आवंटित काउन्टर को बंद करने का अधिकार निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को होगा। वैसी परिस्थिति में संचालक को बंद अवधि का रेंट नहीं देना होगा।

73. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेगें कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर करेंगें। बिना हस्ताक्षरित निविदा को तकनीकी रूप से असफल घोषित किया जायेगा।

74. एकरारनामा में अंकित न किये गये किसी भी प्रकार के विवाद पर सफल निविदादाता एवं निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के द्वारा आपसी सहमति से विवाद का निपटारा किया जायेगा। आपसी सहमति से विवाद का निपटान न होने पर निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना के द्वारा इस संदर्भ में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

75. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, को बिना कारण बताये किसी या सभी निविदा को अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

76. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र पटना होगा।

28/07/2025

**निदेशक,**
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
**कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना**
{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

# अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 02/2025–26

## तकनीकी निविदा

1 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ).......
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः....
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

| क्र. | तकनीकी सूचना | निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | निविदा प्रपत्र मूल्य रू० 2000/–(दो हजार रूपये मात्र) क्रय के मनी रसीद की प्रति/डिमांड ड्राफ्ट | | |
| 2 | Director, Sanjay Gandhi Biological Park, Patna/निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम सेंरू० 2,00,000/–(दो लाख रूपये मात्र) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट। | | |
| 3 | FSSAI से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। | | |
| 4 | ESI & EPF से निबंधन की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। | | |
| 5 | G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन दो तिमाही (छः माह) की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। | | |
| 6 | पैन/टैन के निबंधन एवं विगत तीन वर्षो का (Assesment Year 2022–23, 2023–24 एवं 2024–2025) आयकर रिटर्न की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। | | |
| 7 | वार्षिक टर्न ओवर विगत दो साल (रु0 50,00,000/– (पचास लाख़ रूपये) से अधिक प्रतिवर्ष) टर्न ओवर संबंधित दस्तावेज। | | |
| 8 | सरकारी कार्यालय/सरकारी उपक्रम/सरकारी निगम/सरकार से मान्यता प्राप्त होटल/रेस्टोरेन्ट में विगत पांच वर्षो का कार्यानुभव कार्य अनुभव एवं संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में फुड काउन्टर संचालन के संबंध में एक विस्तृत योजना तथा बेचे जाने वाले खाद्य सामग्रियों की दर सहित सूची। | | |
| 9 | पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति। | | |
| 10 | फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति। | | |
| 11 | सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/नहीं होने से संबंधित घोषणा–पत्र। | | |
| 12 | आवेदक का चरित्र प्रमाण–पत्र (सरकार के निदेशानुसार) | | |
| 13 | राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न | | |
| 14 | काली सूची में दर्ज नहीं होने अथवा कृष्णचिन्हित नहीं होने संबंधी नोटरी का मूल शपथ–पत्र। | | |
| 15 | समर्पित कागजात/अभिलेख की सत्यता संबंधी नोटरी का मूल शपथ–पत्र। | | |
| 16 | अन्य सूचना। | | |

नोटः– मांगे गए सभी दस्तावेज का विवरण क्रमवार एवं पृष्ठ संख्या के साथ अवश्य अंकित करें।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैनें निविदा के सभी शर्तो को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है एवं मैं निविदा की सभी शर्तो को स्वीकार करता/करती हूँ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

स्थान : ............................

दिनांकः ............................

पूरा नाम –

पता–

मोबाईल नं०:–

ई–मेल :–

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
**कार्यालय : निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना**
{Phone – 0612 2217758, Email- patnazoobihar@gmail.com}

# अल्पकालीन निविदा सूचना सं० 02/2025–26

## वित्तीय निविदा

1 निविदादाता /फर्मो / रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ)..

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................

2 निविदादाता /फर्मो / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः.....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

**3 कैन्टीन उपयोग हेतु अर्पित मासिक किराया दर –**

| क्र० सं० | कार्य विवरणी | अर्पित प्रतिमाह किराया दर (अंक में) | अर्पित प्रतिमाह किराया दर (शब्दों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना की पुरानी झील के निकट अवस्थित मयूर रेस्तराँ के ग्राउन्ड फ्लोर (निचले तल्ले) पर स्थित दो फुड काउन्टरों को एक इकाई (यूनिट) के रूप में दिनांक 01.09.2025 से 31.08.2027 (दो वर्ष) तक संचालन हेतु निर्धारित स्थल का प्रतिमाह किराया | | |

नोटः–1. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।
2. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्तों का पालन करना होगा।

स्थान : ............................
दिनांकः ............................

निविदादाता का हस्ताक्षर
पूरा नाम –
पता–
मोबाईल नं०:–
ई–मेल :–